न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/04/2020	2020/00055	17–09–2020	23–01–2025

1– उपवन संरक्षक समाजिकी वानिकी अलवर। ––प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गंगादत जाति ब्राह्मण
2. रमेश चन्द पुत्र श्री गंगादत जाति ब्राह्मण (मृतक)
   2/1–विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द
   2/2–राजकुमार पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द
   2/3–मनीष चन्द पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द
   2/4–शीला पुत्री स्व0 श्री रमेशचन्द
3. चन्द्र कुमार पुत्र श्री गंगादत जाति ब्राह्मण निवासी अलवर मोहल्ला चीतावान की गली, तह0 व जिला अलवर।
4. दुलारी पुत्री स्व0 गंगादत शर्मा पत्नी श्री हीरालाल शर्मा निवासी चीतावान की गली, अलवर राज0।

––अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

––:: निर्णय ::––

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 26.08.2020 के उपरान्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपवन संरक्षक, सामाजिक वानिकी अलवर द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी अलवर ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि रेफरेंस अदालत श्रीमान के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 3332, 3580 वाके अलवर नं० 2 की महकमा जंगलात की गैर मुमकिन पहाड की भूमि है। जो वन विभाग की है तथा गत रिकार्ड मे महकमा जंगलात के नाम से अकिंत है। जो किसी प्रकार से काबिल काश्त नहीं हो सकती है। यह भूमि कभी भी राजस्व विभाग को हस्तारित नहीं हुई है और ना ही यह वन भूमि राजस्व विभाग को हस्तांरित की जा सकती है। यह भूमि अलवर स्टेट के समय से महकमा जगंलात के कब्जे व उपभोग की रिकार्ड के अनुसार चली आ रही है। जो मौके पर आज भी वन विभाग के अधिपत्य एवं उपभोग, उपयोग की है।

खसरा नं० साबिक 3332 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल नं0 1522/2008 रकबा 0.19 एयेर किस्म गैर मुमकिन पहाड, सा० ख० नं0 3571 रकबा मिन 16 बिस्वा हाल ख० नं0 1557 रकबा 0.20 एयेर गैर मुमकिन पहाड तथा सा० ख० नं0 3580 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल ख० नं0 1559 रकबा 0.19 एयेर गैर मुमकिन पहाड वाके ग्राम अलवर नं0 2 वन खण्ड भाखेडा तहसील अलवर जिला अलवर वन विभाग की भूमि है। जिसके साबिक ख० नं० में राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात का इन्द्राज है और वानिकी उपयोग वो उपभोग मे प्रार्थी के विभाग मे बदस्तूर आ रही है। इस पर ना कभी काश्त हुई है ना हो सकती हैं। यह भूमि पहाड का हिस्सा है। ना कभी यह आराजी कभी वन विभाग महकमा जंगलात से किसी भी विधि प्रक्रिया के तहत राजस्व के तबदील ही हुई है ऐसी अवस्था में बिला प्रार्थी के विभाग को सुने वो उसका पक्ष सामने होते हुये इस आराजी का आंवटन आदेश 31.12.85 को जागीर कलक्टर साहब, अलवर ने बहक गंगादत बेजा किया है। जो विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। उस के आधार पर जो इंतकाल नं0 545 बहक गंगावत वल्द रामेश्वर दयाल ब्रा० पिता था, उसके बाद का इन्द्राज अप्रार्थीगण के नाम कुल मिसल हकियत वो

अति० कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जमाबन्दी आदि समस्त राजस्व रेकार्ड में हुआ है वह विधी विरूद्ध हुआ है तथा मौके के विपरीत हुआ है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीयान का इस आराजी से कभी कोई वास्ता व ताल्लुक नही रहा, ना आज है। महज राजस्व रिकार्ड में मौके व कब्जे के विपरीत इन्द्राज कराया है। जिसके कायम रहने से प्रार्थी की सख्त हकतलफी है और वन विभाग को भारी नुकसान पहुचाना सम्भव हैं। प्रार्थी ने अपने महकमा जगंलात की उक्त भूमि मे पेड व तार लगाने आरम्भ किये तो अप्रार्थीयान ने एक दावा बिला अधिकार वो कब्जे के हुक्म इम्तनाई दवामी का किया। जिसमें उपजिलाधीश महोदय अलवर से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा बर खिलाफ वन विभाग निरस्त फरमा दिया। और जिसकी अपील भी अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ पेश की हुई है। जो विचारधीन है। जिस निर्णय एस.डी.ओं साहब अलवर में अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना है। मौके पर जंगलात का कब्जा हैं, पेड खडे हैं। अप्रार्थीयान गैर काबिज हैं, गैरवास्ता है। इसलिये आंवटन आदेश व इन्तकाल हाय वो मिसलवकियत वा उसके बाद की जमाबन्दीया जो अप्रार्थीगण के नाम है व निरस्त किये जाने योग्य है और उनके नाम का अंकन कलमजन होकर उसके स्थान पर किस्म भूमि के अनुसार वो साबिक रिकार्ड वो मौके कब्जे अनुसार प्रार्थी महकमा जंगलात का नाम राजस्व रिकार्ड मे अकिंत होना न्याय संगत है जिसके लिये माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इसके लिये रेफेरेंस के लिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में यह प्रार्थना पत्र रैफरैन्स प्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिस हेतु यह आवेदन पत्र श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण का दावा व अपील विरूद्ध प्रार्थी व राज्य सरकार अदालत में विचाराधीन है। इसलिये बिला देरी यह प्रार्थना पत्र रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल मे रैफरेंस भिजवाये जाने के लिये बिला देरी पेश किया जा रहा है। जिससे ही प्रार्थी के हकूक उक्त भूमि के सम्बंधी कायम हो सकेगे। अप्रार्थीगण ने अपना नाम हटवाने से मना कर दिया है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना जरूरी हुआ है। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का क्रियान्वयन हुआ है और उस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वन भूमि को किसी गैर वानिकी प्रयोजनार्थ बिना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के नहीं लिया जा सकता है। इस अधिनियम के विपरित इस वन भूमि को अप्रार्थीगण को आवंटन किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वन सम्पदा को बनाये रखने के लिये अपने निर्णयों में उल्लेख किया है तथा सरकार को इसे आवंटित नहीं करने के निर्देश भी दिये हैं। जिसके उल्लंघन में यह वर्तमान आवंटन आदेश हुआ है, जिसे निरस्त कराया जाना न्यायोचित है। जिलाधीश जागीर महोदय अलवर ने बिना की सूचना तथा वन विभाग को सुने बगैर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 का उल्लधन करते हुये आवंटन आदेश 31.12.1985 विधी विपरित जारी किया है। जो कतई गलत व खिलाफ कानून है। जिसे अब रैफरैन्स के माध्यम से निरस्त कराया जाना विधि संगत है। वन विभाग को आवंटन के वक्त नहीं बुलाया गया इसलिये इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं हो सकी और ना ही वन विभाग को सुना गया। इसलिये अब रैफरैन्स के माध्यम से ही वन सम्पति की रक्षा वन अधिनियम के अनुसार हो सकेगी।

उक्त वन भूमि की किस्म आज भी गैर मुमकिन पहाड हैं और अप्रार्थीगण को कोई स्थायी अनुतोष भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मौके कब्जे व गत रिकार्ड तथा वन सरक्षण अधिनियम 1980 से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति वन विभाग के पक्ष में प्रमाणित है। उपरोक्त खसरा नम्बरान अलवर नं0 2 वन क्षेत्र भाखेडा तहसील अलवर में स्थित है। इसलिये प्रार्थना पत्र रेफरेंस अदालत श्रीमान के समक्ष किये जाने योग्य है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र रेफरेंस महकमा जंगलात के अधिकारी, उप वन सरक्षक सामायिकी वानिकी अलवर की ओर से पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख० नं० साबिक 3332 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल नं0 1522/2008 रकबा 0.19 एयर गैर मुमकिन पहाड, सा० ख० नं0 3571 रकबा मिन 16 बिस्वा हाल ख० नं0 1557 रकबा 0.20 एयर गैर मुमकिन पहाड तथा ख० नं० साबिक 3580 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल ख० नं० 1559 रकबा 0.19 एयेर किस्म गैर मुमकिन पहाड वाके ग्राम अलवर नं0 2 वन खण्ड भखेडा तहसील अलवर जिला अलवर वन विभाग की भूमि है, जिसको बिना किसी आदेश से राजस्व में लिये हुये जो आवंटन आदेश दिंनाक 31.12.85 को कलक्टर जागीर अलवर द्वारा अप्रार्थीगण के पिता स्व० गंगादत के नाम किया तथा उसके बाद इंतकाल नं0 545 गंगादत के नाम तथा उसके बाद अप्रार्थीगण के नाम इंतकाल वो बन्दोबस्त हाल का इन्द्राज खातेदारी वो उसके बाद की हाल तक की जमाबंदियों में वो अन्य राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण के नाम का अकंन विधि विरूद्ध हुआ है। उसे निरस्त व कलमजन कराये जाकर प्रार्थी के नाम अर्थात महकमा जंगलात के नाम उक्त भूमि का अकंन

आ. ... कलक्टर (प्रथम)

कराये जाने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये और रैफरेंस भिजवाई जाकर उक्त आराजी का अकंन महकमा जंगलात के नाम कराये जाने की कृपा की जाये।

पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया किया। साबिक खसरा नं० 3332 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल नं0 1522/2008 रकबा 0.19 एयेर किस्म गैर मुमकिन पहाड, साबिक ख० नं0 3571 रकबा मिन 16 बिस्वा हाल ख० नं0 1557 रकबा 0.20 एयेर गैर मुमकिन पहाड तथा सा० ख० नं0 3580 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल ख० नं0 1559 रकबा 0.19 एयेर गैर मुमकिन पहाड वाके ग्राम अलवर नं0 2 वन खण्ड भाखेडा तहसील अलवर जिला अलवर वन विभाग की भूमि है। उक्त समस्त भूमि वन की गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है। उक्त वन भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड हैं, जो वन विभाग की है तथा गत रिकार्ड में महकमा जंगलात के नाम से अकिंत है, जो कि किसी प्रकार से काबिल काश्त नहीं हो सकती है। जिसके साबिक ख० नं० में राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात का इन्द्राज है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अनुसार वन भूमि को किसी गैर वानिकी प्रयोजनार्थ बिना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के नहीं लिया जा सकता है। इस अधिनियम के विपरित इस वन भूमि को अप्रार्थीगण को आवंटन किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वन सम्पदा को बनाये रखने के लिये अपने निर्णयों में उल्लेख किया है तथा सरकार को इसे आवंटित नहीं करने के निर्देश भी दिये हैं। ऐसी स्थिति में मौके कब्जे व गत रिकार्ड तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति वन विभाग के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नं० 3332 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल नं0 1522/2008 रकबा 0.19 एयेर किस्म गैर मुमकिन पहाड, साबिक ख० नं0 3571 रकबा मिन 16 बिस्वा हाल ख० नं0 1557 रकबा 0.20 एयेर गैर मुमकिन पहाड तथा सा० ख० नं0 3580 मिन रकबा 15 बिस्वा हाल ख० नं0 1559 रकबा 0.19 एयेर गैर मुमकिन पहाड वाके ग्राम अलवर नं0 2 वन खण्ड भाखेडा तहसील अलवर जिला अलवर से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि वन/जंगल के नाम दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्व अजमेर को भिजवाई जावे।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)